उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून की आठवीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.09.2014 के कार्यवृत्त

कार्यालय उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की आठवीं बैठक डा० राकेश शाह, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 10.09.2014 को उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड कार्यालय, 108/II, वसन्त विहार, देहरादून स्थित 'बोर्ड रूम' में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए –

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री जी०एस० पाण्डे	सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून
2	डा० एस०के० श्रीवास्तव	उप निदेशक/हैड, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, देहरादून
3	डा० बी०एस० अधिकारी	वैज्ञानिक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून
4	डा० अर्चना बहुगुणा	वैज्ञानिक–डी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, देहरादून
5	डा० प्रमोद कुमार पाण्डे	वैज्ञानिक, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून
6	डा० विद्या सागर कापडी,	उपनिदेशक, पशुपालन विभाग
7	श्री गोरखनाथ	सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय मुख्य वन संरक्षक आजीविका एवं गैर प्रकाष्ठ वन उपज (एन०टी०एफ०पी०)
8	डा० विजय प्रसाद भट्ट	वैज्ञानिक, एच०आर०डी०आई०, गोपेश्वर

इस कार्यालय के पत्रांक–65/जै0वि0बो0, 16–3 दिनांक 29.08.2014 द्वारा बोर्ड बैठक का एजेण्डा बोर्ड के सभी सदस्यों/आमंत्रियों को पूर्व में प्रेषित कर दिया गया था। बैठक में एजेण्डा के अनुसार विभिन्न विषयों पर हुए विचार–विमर्श व लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत् हैः–

1. **एजेण्डा नं०–1: बोर्ड के सदस्यों व विशेष आमंत्री का स्वागत :–**

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा सभी सदस्यों व विशेष आमंत्रीगणों का स्वागत कर एवं बोर्ड की मुख्य गतिविधियों से अवगत कराते हुये बैठक का प्रारम्भ किया गया।

2. **एजेण्डा नं०–2: उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बोर्ड की सातवीं बैठक दिनांक 27.05.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं बोर्ड की गतिविधियों से अवगत कराना :–**

बोर्ड द्वारा सातवीं बैठक दिनांक 27.05.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बोर्ड की गतिविधियों से निम्न प्रकार अवगत कराया गया :–

(i) राज्य स्तर पर गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की सूची बोर्ड के सदस्यों को इस कार्यालय के पत्रांक 623/जै०वि०बो० 16–3 दिनांक 09.06.2014 द्वारा प्रेषित की गयी थी जिसके क्रम में वन अनुसंधान संस्थान को छोडकर अन्य संस्थाओं से विशेषज्ञों के नाम प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः सदस्यों को उक्त पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुये पुनः विशेषज्ञों के नाम का सुझाव उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया।

(ii) वर्ष 2013–14 में 124 तथा अब तक कुल 734 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (BMC) का गठन किया जा चुका है।

(iii) वर्ष 2014 में अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी थीम *"द्वीपीय जैव विविधता"* (Island Biodiversity) थी। मुख्य कार्यक्रम आई०सी०एफ००आर०ई० आडीटोरियम, देहरादून में आयोजित किया गया जिसके मुख्य अतिथि श्री दिनेश अग्रवाल, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। इसके अतिरिक्त नैनीताल, हल्द्वानी, गोपेश्वर व रामपुर मण्डी, कालसी में भी कार्यक्रम आयोजित किये गये।

3. एजेण्डा नं0–3: **विदेश यात्रा करने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जानाः–**

बोर्ड के अधिकारियों द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नामांकन अथवा मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विदेश यात्रायें करनी पडती हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी विदेश यात्राएं जिनमें उत्तराखण्ड राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार न पड़ रहा हो अथवा जो उत्तराखण्ड शासन से भिन्न स्रोत से वित्त पोषित हों, को बोर्ड द्वारा अनुमोदन किये जाने के बिन्दु पर विस्तृत विचार–विमर्श हुआ जिस पर सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

4. एजेण्डा नं०–4: **राजकीय वाहन क्रय करने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जाना :–**

बोर्ड कार्यालय हेतु एक नया हल्का मोटर वाहन DGS&D की दर के अनुसार क्रय करने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

5. एजेण्डा नं०–5: **जैव विविधता नियम 2004 का अनुसरण करने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जानाः–**

सदस्यों को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड जैव विविधता नियमावली का ड्राफ्ट वर्ष 2008 में शासन को प्रेषित किया गया था जिसमें समय–समय पर शासन स्तर पर आयोजित बैठकों के उपरान्त आवश्यकतानुसार संशोधन भी किये गये। दिनांक 01.05.2014 को बोर्ड के कार्यालय में तत्कालीन प्रमुख सचिव, वन श्री एस० रामास्वामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई थी जिसमें इस नियमावली पर विस्तृत विचार–विमर्श हुआ था तथा तदोपरान्त लिये गये निर्णयों के अनुसार नियमावली का ड्राफ्ट प्रख्यापित किये जाने हेतु शासन को प्रेषित कर दिया गया था। इसके पश्चात प्रमुख सचिव, वन डा० रणबीर सिंह द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में दिनांक 25.08.2014 को बैठक आयोजित की गयी तथा वे उक्त ड्राफ्ट से सहमत नहीं थे। अतः शासन को पत्र भेजकर ड्राफ्ट तैयार किये जाने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है जो कि अभी तक अप्राप्त है। इस प्रकार अभी तक लगभग 06 वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक नियमावली प्रख्यापित नहीं हो सकी है। नियमावली की अधिसूचना नहीं होने के कारण जैव विविधता अधिनियम, 2002 का क्रियान्वयन करने में कठिनाईयां हो रही हैं। उल्लेखनीय है

कि Access Benefit Sharing के क्रियान्वयन हेतु नगोया प्रोटोकॉल के 12.10.2014 को दक्षिणी कोरिया में आयोजित COP-12 की बैठक के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विधिक मान्यता प्राप्त होना तय हो चुका है। ऐसी स्थिति में भारत की इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता तथा भारत सरकार द्वारा इस विषय का संज्ञान लेने के पश्चात Access Benefit Sharing के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैव विविधता नियम, 2004 का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में जबतक उत्तराखण्ड शासन से जैव विविधता नियमावली की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है तब तक भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैव विविधता नियम, 2004 के अनुसरण करने के प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

6. एजेण्डा नं0–6: **अनुसंधान अधिकारी (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) का पदनाम उपनिदेशक करने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जानाः–**

श्री धनंजय प्रसाद, प्रभारी सहायक वन संरक्षक इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर अनुसंधान अधिकारी (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) के पद पर तैनात किये गये थे। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के वनादेश संख्याः 23/1–8(3) दिनांक 30.01.2014 के द्वारा श्री धनंजय प्रसाद को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ACP) के तहत द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतनमान पी०बी०–3 ₹15,600–39,100 सादृश्य ग्रेड वेतन ₹6,600 वैयक्तिक रूप से दिनांक 01.09.2008 से अनुमन्य किया गया। यह वेतनमान/ग्रेड पे वन विभाग में उपनिदेशक के समतुल्य है। इसे ध्यान में रखते हुये श्री धनंजय प्रसाद के प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान पद अनुसंधान अधिकारी (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) को उपनिदेशक करने हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। इस पद परिवर्तन के परिणामस्वरूप पृथक से कोई अतिरिक्त वेतन–भत्ते आदि अनुमन्य नहीं होंगे। इस पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

7. एजेण्डा नं0–7: **वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रस्तावित संशोधित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) एवं आय–व्यय का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जाना :–**

वित्तीय वर्ष 2014–15 का निम्न प्रकार प्रस्तावित संशोधित बजट का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया–

मानक पद	याचित धनराशि (हजार रूपये में)
वेतन	2200.00
मंहगाई भत्ता	2000.00
पर्वतीय विकास भत्ता व अन्य भत्ता	55.00
मकान किराया भत्ता	700.00
मजदूरी	5300.00
यात्रा भत्ता	300.00
जैव विविधता पंजिका बनाना	2000.00
मानदेय	100.00
विद्युत देय	55.00

जलकर	10.00
टेलीफोन व्यय	150.00
लेखन सामग्री	150.00
कार्यालय व्यय	250.00
कार्यालय फर्नीचर	200.00
मोटर गाडियों का अनुरक्षण	900.00
किराया उपशुल्क	500.00
प्रकाशन	300.00
आतिथ्य व्यय	100.00
मशीन साज–सज्जा और सयंत्र	200.00
कम्प्यूटर अनुरक्षण व तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	200.00
व्यवसायिक सेवायें	30.00
चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	300.00
अन्य व्यय	4800.00
प्रशिक्षण	200.00
योग –	2,10,00.00 (रूपया दो करोड दस लाख मात्र)

(ii) वित्तीय वर्ष 2013–14 के बोर्ड के लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet), बनाने हेतु नियुक्त श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की तैयार की गयी लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) एवं आय–व्यय पर निम्नानुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया:–

Account Name	Income	Expenditure
Board Fund Account	1,85,09,284.00	56,80,839.00
Campa Account	5,76,000.00	1,79,800.00
State Biodiversity Nidhi	80,000.00	-
Total	**1,91,65,284.00**	**58,60,639.00**

8. एजेण्डा नं0–8: **कैलाश पवित्र भू–दृश्य संरक्षण एवं विकास पहल (Kailash Sacred Landscape Conservationa and Development Initative) परियोजना के अन्तर्गत अध्ययन करने के प्रस्ताव एवं जैव विविधता विरासतीय स्थलों के चयन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जाना:–**

(i) कैलाश पवित्र भू–दृश्य संरक्षण एवं विकास पहल (Kailash Sacred Landscape Conservationa and Development Initative) परियोजना के अन्तर्गत मार्च 2014 में गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी कटारमल, अल्मोडा के साथ परियोजना के घटक–03 के क्रियान्वयन हेतु करार हुआ। इस परियोजना के अन्तर्गत Access Benefit Sharing व Trans Boundary विषयों पर आधारित Science Policy Interface का अध्ययन किया जाना है जिसके आधार पर नीतिगत परिवर्तनों/संशोधनों हेतु उत्तराखण्ड शासन के लिये एक ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर तैयार किया जाना है। इस हेतु किसी ऐसे विशेषज्ञ की आवश्यकता है जो कि जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में दीर्घकालीन अनुभव रखने के साथ–साथ Access Benefit

Sharing विषय का भी पर्याप्त ज्ञान रखता हो। यह परियोजना बोर्ड द्वारा मार्च 2014 में प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात जून/जुलाई 2014 तक चुनाव आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा जून 2014 में ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के फलस्वरूप नई पंचायतों के गठन व उनके द्वारा गठित की जाने वाली जैव विविधता प्रबन्ध समितियों की प्रक्रियात्मक बाध्यता के कारण परियोजना में इस वर्ष किये जाने वाले कार्यों हेतु उपलब्ध समय सीमित (दिसम्बर 2014) है। इसके अतिरिक्त उक्त अध्ययन को करने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता (जैव विविधता संरक्षण व Access Benefit Sharing विषय का भी पर्याप्त ज्ञान) की आवश्यकता व सीमित समय को देखते हुये बैठक में बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, डा० बी०एस० बरफाल जो कि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पद से सेवानिवृत्त होकर बोर्ड में तीन साल तक अपनी सेवायें दे चुके हैं, से अध्ययन कराने हेतु बोर्ड द्वारा इस पर अनुमोदन किया गया।

(ii) जैव विविधता अधिनियम–2002 की धारा–37(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय के परामर्श से जैव विविधता विरासतीय स्थलों (Biodiversity Heritage Sites) को अधिसूचित किये जाने हेतु निम्न स्थलों के सम्बन्ध में सुझाव सहित (यदि कोई हो) अनापत्ति प्रमाण पत्र ("No objection Certificate") हेतु अनुरोध किया गया था:–

Sacred Groves within Panchayat Forests	Sacred Groves within Reserve Forests
1. सैम मुखिम पवित्र वन, जनपद टिहरी	1. ताड़केश्वर पवित्र वन, जनपद पौडी।
2. भतार (मन्थात) पवित्र वन, जनपद, देहरादून	2. थत्यूड़ पवित्र वन, जनपद, देहरादून।
3. चामुण्डा देवी पवित्र वन, जनपद पिथौरागढ़	3. मंदकेश्वर पवित्र वन, जनपद उत्तरकाशी।
4. काण्डे/साराकोट समर्पित वन, जनपद पिथौरागढ़	4. हरियाली देवी पवित्र वन, जनपद रूद्रप्रयाग।
5. धूरका देवी पवित्र वन, जनपद अल्मोड़ा	5. स्याही/स्यामा देवी पवित्र वन, जनपद अल्मोड़ा।
6. होकरा देवी पवित्र वन, जनपद पिथौरागढ़	6. थलकेदार पवित्र वन, जनपद पिथौरागढ़।
7. सिमगिरी समर्पित वन, जनपद पिथौरागढ़	

Sacred Groves within Panchayat Forests के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबन्धन उत्तराखण्ड द्वारा तथा Sacred Groves within Reserve Forests के सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र ("No objection Certificate") प्रदान किया है। वन पंचायतें, वन पंचायत नियमावली 2005 के अन्तर्गत कार्य करती है, जिस हेतु वन पंचायतों से सम्पर्क किया जायेगा। उक्त विरासतीय स्थलों के सम्बन्ध में डा० चन्द्र सिंह नेगी, असोसिएट प्रोफेसर, एल०एस०एम० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ के द्वारा प्रारम्भिक अध्ययन किया गया है। बोर्ड द्वारा उपरोक्त विरासतीय स्थलों में से निम्न को चयन कर विस्तृत अध्ययन (Floral & Faunal) किये जाने का अनुमोदन किया गया:–

Sacred Groves within Panchayat Forests	Sacred Groves within Reserve Forests
1. सैम मुखिम पवित्र वन, जनपद टिहरी	1. ताड़केश्वर पवित्र वन, जनपद पौडी।
2. धूरका देवी पवित्र वन, जनपद अल्मोड़ा	2. थलकेदार पवित्र वन, जनपद पिथौरागढ़।

बैठक में विरासतीय स्थलों के विस्तृत पारिस्थितिकीय अध्ययन हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं की सहायता से एक प्रारूप विकसित करने, उक्त चयनित स्थलों के विस्तृत अध्ययन हेतु प्रति स्थल एक लाख रूपये मात्र निर्धारित करने का भी बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(iii) जैव विविधता अधिनियम के अनुपालन में Access Benefit Sharing के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड द्वारा एक Certificate of Compliance का प्रारूप विकसित किया गया है जिसे जैव संसाधन का उपयोग करने वाले आवेदकों को ABS के अनुपालन की पुष्टि में निर्गत किया जायेगा। इस प्रारूप **(संलग्नक–1)** को उत्तराखण्ड में प्रयोग किये जाने हेतु तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को प्रयोग में लाये जाने हेतु प्रेषित किये जाने का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

अन्त में बोर्ड के सभी सदस्यों/आमंत्रीगणों को धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया।

संलग्नक–यथोपरि–1

(जी०एस० पाण्डे)
सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड
देहरादून।

अनुमोदित

(डा० राकेश शाह)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड जैव विवधता बोर्ड,
देहरादून